

प्रारूप- दो

भाग- ख- ग्राम सभा के संकल्प के लिए प्रारूप- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

ग्राम- परसुली

प्रारूप - तीन

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन

(नियम 23 देखिए)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण -
 

(क) कुल जनसंख्या - 676	(एक) पुरुष - 335	(दो) महिला-341
(ख) बच्चों की संख्या- 167	(एक) पुरुष- 62	(दो) महिला - 105
(ग) जातिवार जनसंख्या (परिवार)	(एक) अ.ज.जा.-पु.218,म.217	(दो) अ.जा.- पु.78,म.85
	(तीन) अ.पि.व.- पु.39,म.39	(चार) अन्य- 0
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू- 558	(दो) मुस्लिम-0
	(तीन) सिक्ख-0	(चार) ईसाई-0
	(पांच) बौद्ध- 0	(छः) अन्य-0
2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या- 116
3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या- 28
4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या - 23
5. निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या- निरंक
6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन - सामाजिक संगठन 01, सांस्कृतिक नहीं
7. प्रशासनिक संगठन -
 

श्री ललेश साहू सचिव  
 श्रीमती निराशा सोरी, पटवारी  
 श्री अशोक कुमार महार, कृषि विस्तार अधिकारी  
 श्री लिलेश्वर ध्रुव भृत्य  
 श्री असकरण निषाद रो.सहायक  
 कल्याणी डोंगरे एन.एम. स्वास्थ्य कार्यकर्ता  
 श्रीमती ईश्वरी वर्मा आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 06  
 श्रीमती रोशनी ध्रुव देवपारा परसुली आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 01
8. राजनीतिक संगठन-
 

श्रीमती हेमलता ध्रुव, सरपंच  
 श्रीमती चन्द्रलेखा ध्रुव उपसरपंच  
 श्रीमती गायत्री बाई ध्रुव पंच  
 श्रीमती निराशाबाई ध्रुव पंच  
 श्रीमती कुमारी बाई पंच  
 श्रीमती गनभा बाई ध्रुव पंच  
 श्रीमती निर्मलाबाई सुर्यवंशी पंच  
 श्री गिरवर सिंह ध्रुव पंच  
 श्री चिन्ताराम ध्रुव पंच  
 श्री गंगाराम ध्रुव जनपद सदस्य
9. सिविल सोसायटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य-

भूमि का उपयोग—

- (एक) कृषि भूमि— 168.25
- (दो) पड़त— 81.28
- (तीन) सिंचित एवं फसली भूमि— 50
- (चार) सिंचित दुफसली भूमि— 42
- (पांच) असिंचित भूमि— 76.25

11. जोत का आकार —

- (एक) लघु कृषकों की संख्या—38
- (दो) सीमांत कृषकों की संख्या— 30, रकबा — 42.40
- (तीन) कुल खेतों की संख्या —121
- (चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या — 15
- (पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये)–

12. पशुधन —

- (एक) पशुधन की संख्या— 723
- (दो) दुधारू पशुधन की संख्या—70

13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार । डबरी निर्माण, नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, इनलेट, आउटलेट कृषि, मनरेगा में कार्य एवं अन्य मजदूरी। मनरेगा — 167, कृषि — 150

14. पलायन— 0

15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी — 50 प्रतिशत

16. खाद्य सुरक्षा— 102

17. अन्य स्थानीय रोजगार—

18. मजदूरी दर— 167

19. ऋण तक पहुंच— 0

20. परिवहन एवं सड़क— मुख्य मार्ग 01, सी.सी.रोड 05

21. सिंचाई— नहर एवं बोर की व्यवस्था

22. बाजार तक पहुंच— ग्राम पंचायत से 05 कि.मी.

23. पर्यटन स्थल— 0

24. सरकारी संस्थाएं—

25. रहन—सहन

(एक) धारणएं, सौंदर्यपक्वता मोह एवं अभिलाषा — छत्तीसगढ़ी प्रधान एवं सौन्दर्यकरण

(दो) गृह— खपड़े का कच्चा एवं पक्का मकान

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान— 0

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल— रंगमंच 01, दुर्गा मंच

(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेंज, सिस्टम इत्यादि)— 100 प्रतिशत

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)— स्वास्थ्य केन्द्र नहीं आंगनबाड़ी 02, आठवीं एवं पांचवी तक विद्यालय, लोक वितरण 01

(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा — 0

26. शौचालय निर्माण— 106

## महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि जीविका और आय पर समाघात
  - (क) रोजगार के स्तर और प्रकार- 100 प्रतिशत, कृषि मनरेगा में कार्य एवं अन्य मजदूरी
  - (ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके- मनरेगा
  - (ग) आय के स्तर- 5000/- मासिक औसतम्
  - (घ) खाद्य सुरक्षा- 454
  - (ङ.) जीवन निर्वाह का स्तर- मध्यम
  - (च) उत्पादन संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण- 1.500 कि.मी.
  - (छ) जीविका को विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच- उपस्थित
2. भौतिक संसाधनों पर समाघात-
  - (क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात- दोमट मिट्टी
  - (ख) जाविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव- नहीं
3. निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात-
  - (क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधों की क्षमता- विद्यमान स्वास्थ्य 0 एवं 8वीं एवं 5 वीं 176
  - (ख) गृह सुविधों की क्षमता- 300
  - (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली- व्यवस्था नहीं
  - (ङ) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात - 10 कृषि बोर
4. स्वास्थ्य समाघात-
  - (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात - गरियाबंद 12 कि.मी. दूरी
  - (ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात- गरियाबंद 12 कि.मी. दूरी
5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात
  - (क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण- नहीं
  - (ख) जनसंख्याकी परिवर्तन- नहीं
  - (ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन- नहीं
  - (घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात- नहीं
  - (ङ.) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप- नहीं
  - (च) विस्थापन का तनाव- नहीं
  - (छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात- नहीं
6. चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात
  - (क) पूर्व- सन्निर्माण चरण- नहीं
  - (ख) सन्निर्माण चरण- नहीं
  - (ग) प्रवर्तन - नहीं
  - (घ) कार्य से हटाने वाला चरण - मौखिक सहमति से कार्य प्रगति पर है।
  - (ङ.) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात- नहीं
  - (च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)- नहीं

श्री राम-नारायण निर्मलकर  
गैर शासकीय समाजिक वैज्ञानिक  
आर्यभट्ट कोपरा कार्लेज कोपरा

सरपंच  
ग्राम पंचायत कोपरा  
जन्मदायक परिवार  
कोपरा  
सरपंच ग्राम पंचायत  
स्थानीय निकाय से प्रतिनिधि

श्री पवन कुमार यादव  
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ  
गैर शासकीय  
कचना धुरवा कार्लेज छुश

श्रीमति चुम्मानसाई सोम  
अध्यक्ष-पंचायत समिति  
स्थानीय निकाय (क्ष.ग.)  
प्रतिनिधि

श्री विष्णु चन्द्रकर  
कार्यपालक-अभियंता  
जल संसाधन विभाग

श्री सीतल देवी  
उपस्थित (क्ष.ग.)  
परिवारिक


प्रारूप - 04


[नियम 23(9) देखिये]

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना हेतु विषय - वस्तु की सारणी

अध्याय	विषय वस्तु	विस्तृत जानकारी
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजन -	पैरी घुम्मर व्यपतर्वन योजना
	(ख) स्थान	परसूली दिनांक 09.09.2016
	(ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता	1.15 हे. निजी भूमि
	(घ) अनुकल्पो पर विचार	अनुकल्प नहीं है।
	(ङ) सामाजिक समाघात	दल का गठन किया जा चुका है।
	(च) कमी करने के उपाय	अनुकल्प नहीं है।
	(छ) सामाजिक लागत और फायदो का निर्धारण	5.00 लाख
योजना के विवरण ब्यौरा (कार्यपालन यंत्रणा, जल संसाधन म, की रिपोर्ट म)	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित	गरियाबंद जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के महत्व पूर्ण सिंचाई योजना पैरीघुम्मर व्यपतर्वन का निर्माण ग्राम चिखली, ग्राम पंचायत हाथबाय, विकासखण्ड गरियाबंद के समीप पैरी नदी पर निर्मित है। जिसके अंतर्गत बांयी तट नहर मुख्य नहर की कुल लंबाई 30.99 कि.मी. है एवं विभिन्न ग्रामों की सुगमता पूर्वक सिंचाई हेतु 12 नग लघु माईनर नये का निर्माण आवश्यक है। ग्राम परसूली पटवारी हल्का नं. 27 के माईनर नं. 01, 02 एवं 03 जिसके लिए 10 कृषकों की 1.15 हे. निजी भूमि को अर्जित किया जाना है। जिससे ग्रामों की 205.74 हे. भूमि सिंचित होगी। इस परियोजना की लागत रुपये 4617.87 लाख है। जिससे गरियाबंद विकासखण्ड के 2000 हे. क्षेत्र में सिंचाई किया जाना है। एवं लगभग 19 गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस आदिवासी क्षेत्र में अन्य कोई सिंचाई सुविधा नहीं है। योजना पूर्ण होने पर प्रति हे. उत्पादन क्षमता 12 mt/Hac से बढ़कर 50 mt/Hac होना संभावित है। अतः योजना के लागत के अनुपात से वार्षिक लाभ फसल के रूप में 26 लाख वार्षिक प्राप्त होगा।

(ग)	परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद लक्ष्य, लागत जोखिम का ब्यौरा	परियोजना का स्वरूप लघु आकार का है। जिसमें किसी भी प्रकार का आबादी क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा, एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। योजना के लागत के अनुरूप उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।
(घ)	अनुकल्पी की परीक्षा	अनुकल्पों की परीक्षा किया जा चुका है। अर्थात् योजना पूर्ण रूप से लाभप्रद है।
(ङ)	परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं	उपरोक्त ग्राम में इस परियोजना के अतिरिक्त अन्य कोई सिंचाई परियोजना निर्मित नहीं है।
(च)	मूल डिजाइन की विशिष्टियां और सुविधाओं का आकार	लघु नहरों को कमाण्ड क्षेत्र के लगने वाली जल की मात्रा के अनुरूप नहरों का सेक्सन डिजाइन किया गया है। जिससे सिंचाई सुविधा में वृद्धि होगी।
(छ)	सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता	सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता अनुकल्प नहीं है।
(ज)	कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई)	कार्यबल अपेक्षाएं स्थाई है।
(झ)	सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है, और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट	संलग्न है।
(	लागू किए गए विधान और नीतियां	वर्तमान में लागू किये गये विधान एवं नीतियों के अनुसार है।

  
 34 अतिरिक्त

  
 कार्यालय अभियंता  
 जल संसाधन संस्थाप, गरियाबंद,  
 जिला - गरियाबंद (छ.ग.)